

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु अण्डरटेकिंग

"मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दर्शाए गए तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ठीक हैं तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। बहकाने या छुपाने के किसी भी स्थिति के मामले में मेरे विरुद्ध जैसा भी मामला हो अपराधी के तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 182, धारा 415, सह धारा 417 तथा धारा 420 के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।" बोर्ड की योजना के अन्तर्गत यदि किसी कारणवश देय से अधिक राशि स्वीकृत हो जाती है तो मैं श्रम कल्याण बोर्ड को अधिक जारी की गई राशि वापिस करने के लिए बाध्य हूँ।"

मैंने उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्णतः पढ़ कर समझ लिया है तथा मैं पूर्णतः सहमत हूँ।